सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

26 नवम्बर, 2020

सप्तदश विधान सभा — वृहस्पतिवार, तिथि 26 नवम्बर, 2020 ई0
प्रथम सत्र — 05 अग्रहायण, 1942(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।
माननीय सदस्यगण, बिहार के राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है:-

अध्यक्ष को सम्बोधित राज्यपाल का संदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, फागू चौहान, बिहार का राज्यपाल, एतद् द्वारा एक साथ समवेत बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों को दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में सम्बोधित करना चाहता हूँ और बिहार विधान मंडल के विस्तारित भवन के सेन्ट्रल हॉल, पटना में सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूँ ।

पटना, — फागू चौहान
दिनांक-17.11.2020 — राज्यपाल, बिहार ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब आप लोगों की अनुमति से मैं कुछ देर के लिए राज्यपाल महोदय का स्वागत करने और उन्हें यहाँ लाने के लिए बाहर जाता हूँ । इस बीच आपलोग कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठे रहेंगे ।
माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना मोबाईल बंद कर लें या साईलेंट मोड में कर लें ।

(व्यवधान)

अभी महामहिम आ रहे हैं, उनके स्वागत में बैठे रहें ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय महामहिम राज्यपाल महोदय को लाने हेतु सदन से बाहर गये)

(महामहिम राज्यपाल महोदय का आगमन)

(इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सभापति महोदय द्वारा आसन ग्रहण किया गया)

सभा सचिव : महामहिम राज्यपाल महोदय, बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यगण यहाँ एकत्रित हैं । अतएव आपसे अनुरोध है कि अभिभाषण देने की कृपा की जाय ।

महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

सत्यमेव जयते

भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अधीन
बिहार विधान-मंडल के दोनों सदनों के एक साथ समवेत
अधिवेशन में
बिहार के महामहिम राज्यपाल

श्री फागू चौहान

का

अभिभाषण

26 नवम्बर, 2020

बिहार विधान मण्डल के माननीय सदस्यगण

राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के एक साथ समवेत अधिवेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ तथा अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। आज सप्तदश बिहार विधान सभा का प्रथम सत्र आरम्भ हो रहा है। मैं सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई देता हूँ। मेरी कामना है कि नवगठित बिहार विधान सभा का कार्यकाल बिहार को विकसित बनाने एवं जन–जन तक खुशहाली लाने में अपनी रचनात्मक भूमिका अदा करेगा। आपके बहुमूल्य सुझाव एवं विमर्श से बिहार की प्रगति को बल मिलेगा।

अभी हमारे यहाँ शांतिपूर्ण, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव संपन्न हुए हैं। राज्य की जनता ने विकास के एजेन्डे को स्वीकार करते हुए सरकार का स्वरूप तय कर दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार समावेशी विकास के पथ पर चलते हुए विकसित बिहार बनाने की ओर अग्रसर होगी। विकास के प्रति राज्य के सभी वर्गों में खासकर युवाओं, महिलाओं एवं वंचित वर्गों में व्यापक जागरूकता दृष्टिगोचर होती है। इस जागरूकता को रचनात्मक आयाम देते हुए सरकार द्वारा राज्य के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है।

कोरोना वायरस के संक्रमण से फैली महामारी पूरे विश्व के समक्ष एक चुनौती बनी हुई है। पूरा देश और बिहार भी इससे काफी प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार इस बीमारी की रोकथाम के लिए शुरू से सचेत रही है और लगातार इस पर काम कर रही है। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के दिशानिर्देशों को पूरी तरह लागू किया है। इस महामारी के दौरान राज्य सरकार द्वारा लोगों को राहत पहुँचाने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाए गए है। केन्द्र सरकार से भी इसके लिए जरूरी मदद मिली है। अन्य राज्यों में फंसे कुल 20.95 लाख लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से विशेष सहायता दी गई। विशेष ट्रेनों एवं अन्य माध्यम से अधिक संक्रमण वाले 11 शहरों (दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गाँव, फरीदाबाद, मुम्बई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद, कोलकाता एवं बंगलौर) से लौटने वाले 15 लाख से अधिक लोगों को 14 दिनों तक क्वारंटीन केन्द्रों में रखा गया और प्रत्येक व्यक्ति पर औसतन 5,300 रुपये खर्च किये गये। राज्य के 1 करोड़ 64 लाख राशन कार्डधारियों एवं राशन कार्ड हेतु चिन्हित परिवारों को 1,000 रूपये प्रति परिवार की दर से दिया गया। कुल 23.38 लाख वंचित परिवारों को राशन कार्ड स्वीकृत कर वितरित किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार के राहत कार्यों पर 10 हजार करोड़ रूपये से भी अधिक की राशि खर्च की गयी।

केन्द्र सरकार द्वारा भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन कार्डधारियों को अप्रैल से नवम्बर, 2020 तक 5 किलो प्रति व्यक्ति की दर से मुफ्त अनाज तथा 1 किलो प्रति परिवार की दर से दाल और चना उपलब्ध कराया गया। अन्य राज्य से लौटे मजदूरों के लिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, उन्हें भी 3 महीने के लिए मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया गया। साथ ही बिहार के 85 लाख परिवारों को 3 माह के लिए मुफ्त एल.पी.जी. सिलेण्डर उपलब्ध कराया गया। कोरोना के जाँच एवं इलाज के लिए उपकरण एवं आवश्यक सामग्रियाँ उपलब्ध करायी गयीं

तथा बिहार में 500 बेड के दो कोविड अस्पताल बनाये गये। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार से अन्य प्रकार की भी सहायता मिली है। कोरोना संक्रमण के विरूद्ध जारी संघर्ष में केन्द्र का भी पूरा सहयोग है।

राज्य सरकार द्वारा इस बीमारी की रोकथाम के लिए जाँच की सुविधा, संक्रमितों के आइसोलेशन और उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई है। इस महामारी की रोकथाम हेतु जाँच की कार्रवाई तेज गति से की जा रही है। अभी बिहार राज्य में 1 लाख से अधिक जाँच प्रतिदिन किये जा रहे हैं। अबतक बिहार राज्य में 1 करोड़ 35 लाख से अधिक जाँच कराये जा चुके हैं। बिहार में अब तक की गयी प्रति मिलियन जाँच राष्ट्रीय औसत से 10 हजार से भी अधिक है। बिहार राज्य का रिकवरी रेट पूरे देश की औसत रिकवरी रेट से अधिक है। बिहार राज्य में कोरोना से संक्रमितों की मृत्यु की दर राष्ट्रीय औसत से कम है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन का भारत एवं दुनिया के कई अन्य देशों में ट्रायल का कार्य तेजी से किया जा रहा है। वैक्सीन उपलब्ध होने के उपरांत कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी। पिछले कुछ दिनों में देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। ऐसी स्थिति में सभी लोगों को सजग और सचेत रहना होगा और पूरे तौर पर सावधानी बरतनी होगी।

न्याय के साथ विकास के सिद्धान्त पर हर क्षेत्र का विकास एवं हर तबके का उत्थान राज्य सरकार का मूल संकल्प है। राज्य सरकार कानून का राज कायम रखने के लिए संकल्पित है। बिना कोई द्वेष या भेदभाव के कानून व्यवस्था को लागू किया गया है। संगठित अपराध पर कड़ाई से अंकुश लगाया गया है और यह व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी।

लोगों की शिकायतों के निदान के लिये बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू किया गया है एवं सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण अधिकार प्रणाली लागू की गयी है।

राज्य में सामाजिक सौहार्द एवं साम्प्रदायिक सद्भाव का वातावरण कायम है। हाल में सभी त्यौहार शांति, सौहार्द एवं आपसी भाईचारे के माहौल में संपन्न हुए हैं जिसके लिए बिहार की जनता बधाई की पात्र है।

अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के विरूद्ध राज्य सरकार की नीति जीरो टॉलरेन्स की है।

राज्य में एक ओर जहाँ प्रभावी विधि–व्यवस्था स्थापित करने में सफलता मिली है तो दूसरी ओर आधारभूत संरचनाओं के साथ–साथ मानव संसाधन के विकास में भी नई ऊँचाइयाँ हासिल की गई हैं।

राज्य सरकार द्वारा समावेशी विकास की रणनीति अपनाई गई है। ठोस अनुशासनिक एवं आधुनिक प्रशासनिक तथा वित्तीय संरचना को स्थापित करते हुए राज्य में विकास एवं प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया गया है। इस प्रकार पिछले 15 वर्षों में बिहार की विकास–दर दो अंकों में रही है। बिहार के विकास की रणनीति

विकेन्द्रीकृत विकास की रही है। इससे विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचा है और गरीबी में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।

बिहार की तरक्की और इसकी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए काम किया गया है और आगे भी किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, कृषि और महादलित, दलित, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिलाओं के विकास तथा कल्याण की अनेक योजनाएँ जो सफलतापूर्वक चल रही हैं, इन सभी को और सुदृढ़ करते हुए क्रियान्वित किया जाता रहेगा। राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए काम करती रही है और करती रहेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि विकास का लाभ समाज के सबसे गरीब तबके तक अवश्य पहुँचे।

राज्य सरकार ने मानव संसाधन के विकास को दृष्टिगत कर शिक्षा पर शुरू से ध्यान केन्द्रित किया है। विद्यालय में वंचित वर्गों का दाखिला सुनिश्चित कराने एवं लड़के, लड़कियों के बीच शिक्षा के अंतर को दूर करने के लिए बहुआयामी रणनीति के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गये, कक्षाओं की संख्या बढ़ायी गयी, शिक्षकों की उपलब्धता एवं उपस्थिति सुनिश्चित की गयी और पोशाक, साईकिल, प्रोत्साहन एवं छात्रवृत्ति योजना चलायी गयी है। राज्य की सभी पंचायतों में 9वीं कक्षा की पढ़ाई की तैयारी पूरी की जा चुकी है। इसके आगे राज्य में शिक्षा के गुणात्मक स्तर में सुधार लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

विगत वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई उल्लेखनीय काम किये गये हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य–सुविधाओं के विस्तार एवं उनकी बेहतरी पर लगातार काम किया जाएगा। गाँव–गाँव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी।

बिहार मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है। विगत कई वर्षों में इस क्षेत्र में किए गए कार्यों की वजह से कृषि उत्पादन एवं कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कृषि के विकास के लिए लागू तीसरे कृषि रोड मैप के रास्ते चलकर कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को और बढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। राज्य में जैविक खेती को और बढ़ावा देने तथा मौसम के अनुकूल कृषि को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जायेगा। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार सभी संभव प्रयास करेगी।

राज्य के कोने–कोने में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराया गया है। सड़कों एवं पुल, पुलियों का जाल बिछाकर सुदूर क्षेत्रों को संपर्कता दी गई है। लगभग सभी ग्रामीण बसावटों को एकल संपर्कता दी गई है। सड़कों एवं पुलों के अनुरक्षण के लिए नीति बनाई गई है। बिजली के क्षेत्र में व्यापक सुधार लाया गया है। हर घर में बिजली पहुंचा दी गयी है। राज्य सरकार आगे भी बिहार में आधारभूत संरचनाओं को और बेहतर बनाने के लिए काम करती रहेगी।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समेकित विकास हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। पूर्व से चल रही विभिन्न योजनाओं से गाँव एवं शहरों के आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश में सकारात्मक बदलाव आया है। राज्य सरकार का प्रयास रहा है

कि सभी लोगों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें। हर घर में शौचालय निर्माण का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। अधिकांश घरों में नल का जल दिया गया है एवं अधिकांश घरों तक पक्की नाली एवं गलियाँ बन चुकी हैं। बचे हुए शेष कार्यों को भी शीघ्र पूरा कर लिया जायेगा। हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली–नाली एवं हर घर शौचालय जैसी सभी योजनाओं के रख–रखाव के लिए विशेष व्यवस्था की जायेगी।

राज्य सरकार शराबबंदी को दृढ़तापूर्वक लागू रखने के साथ-साथ बाल-विवाह एवं दहेज-प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ सामाजिक अभियान जारी रहेगा।

युवाओं के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा जैसे कार्यक्रम लागू हैं जिनका लाभ बिहार के युवा उठा रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। अब इनके साथ–साथ युवाओं को और बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगें। युवाओं में उद्यमिता को और बढ़ावा दिया जायेगा।

राज्य सरकार बिहार में उद्योगों के विकास के लिए तत्पर है। राज्य में औद्योगिक विकास एवं रोजगार के नये अवसर पैदा करने हेतु नयी संशोधित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2020 लागू की गयी है। साथ ही कृषि आधारित उद्योगों एवं काष्ठ आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु नई नीति बनायी गयी है, जिसके तहत् औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी देने का प्रावधान रखा गया है। राज्य सरकार के इन प्रयासों से प्राथमिक एवं अति प्राथमिक क्षेत्रों में नये उद्योग लगाने में सहायता मिलेगी। सरकार के इन प्रयासों से एक ओर राज्य के आर्थिक विकास को बल मिलेगा तथा युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

राज्य सरकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए पूरी तरह से कृतसंकल्पित है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए जल–जीवन–हरियाली अभियान के कार्यक्रमों को पूरी तरह से लागू किया जा रहा है।

राज्य के विकास एवं हर तबके के उत्थान के लिए नये कार्यक्रमों का निर्धारण किया जायेगा। राज्य के अपने प्रयास और केन्द्र सरकार के सहयोग से बिहार को विकास की नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया जायेगा।

राज्य सरकार बिना किसी पूर्वाग्रह या भेदभाव के राज्य की प्रगति के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करेगी। विपक्ष से सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा है। लोकतंत्र के हित में तथा बिहार के विकास के लिए आप सभी के सहयोग एवं योगदान की कामना है।

नवगठित बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के एक साथ समवेत सत्र में आप सबों की उपस्थिति के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।

।। जय हिन्द ।।

4

सभा सचिव : महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण समाप्त हुआ ।

(इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल महोदय को विदा करने माननीय अध्यक्ष महोदय गये)

टर्न:2/शंभु-राहुल-अंजली/26.11.2020

(इस अवसर पर पुन: माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

(व्यवधान)

एक मिनट सुन लीजिए आप तो वरिष्ठ लोग हैं । पहले सुनिए, एक मिनट सुनिए ।

माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-2 के तहत माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को सदन नेता के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है ।

बिहार विधान सभा के माननीय सदस्य, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है ।

माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 12 (1) के अधीन मैं निम्न सदस्यों को सप्तदश विधान सभा के प्रथम सत्र के लिए अध्यासी सदस्य मनोनीत करता हूं:-

श्री प्रेम कुमार	-	स0वि0स0
श्री हरिनारायण सिंह	-	स0वि0स0
श्री अवध बिहारी चौधरी	-	स0वि0स0
श्रीमती लेशी सिंह	-	स0वि0स0
श्री मो0 आफाक आलम	-	स0वि0स0

माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-219 (1) के अधीन मैं सप्तदश बिहार विधान सभा के प्रथम सत्र के लिए कार्य-मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार करता हूं:-

अध्यक्ष	बिहार विधान सभा	सभापति
श्री नीतीश कुमार	मुख्यमंत्री	सदस्य
श्री तारकिशोर प्रसाद	उप मुख्यमंत्री	सदस्य
श्रीमती रेणु देवी	उप मुख्यमंत्री	सदस्य
श्री विजय कुमार चौधरी	मंत्री, संसदीय कार्य	सदस्य
श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव	मंत्री, ऊर्जा	सदस्य
श्री तेजस्वी प्रसाद यादव	नेता, विरोधी दल	सदस्य
श्री अजीत शर्मा	स0वि0स0	सदस्य

<u>विशेष आमंत्रित सदस्य</u>

श्री महबूब आलम	-	स0वि0स0
श्री राम प्रवेश राय	-	स0वि0स0
श्री अख्तरूल ईमान	-	स0वि0स0
श्री अनिल कुमार	-	स0वि0स0
श्री राजू कुमार सिंह	-	स0वि0स0

नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे ।

प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग ।

श्री आलोक कुमार मेहता: अध्यक्ष महोदय, एक सूचना है कल प्रोटेम स्पीकर माननीय श्री जीतन राम मांझी जी के द्वारा कहा गया था कि माननीय राबड़ी देवी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए चलते सत्र में तत्कालीन माननीय सांसद श्री लालू प्रसाद जी के सदन में उपस्थिति की बात कही गई थी, जो असत्य है । शायद उन्हें गलत जानकारी या सूचना दी गई होगी । अत: आपसे अनुरोध है कि उसे विधान सभा की प्रोसिडिंग से हटा दिया जाय..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य हम दिखवा लेंगे ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उपमुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, भारत संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (2) (क) के अनुसार बिहार विधान सभा के समक्ष महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार कराधान विवादों का समाधान अध्यादेश, 2020 की एक प्रति सभा मेज पर रखता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य दिखवा लिया जाएगा । प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (2) (क) के अनुसार बिहार विधान सभा के समक्ष महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2020 की एक प्रति सभा मेज पर रखता हूं ।

अध्यक्ष: सभा सचिव ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य देखने के बाद ही तो पता चलेगा ना, इसलिए हमने कहा दिखवा लेंगे।

सभा सचिव: महोदय, मैं बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित निम्नलिखित विधेयकों की एक विवरणी पटल पर रखता हूं जिसमें महामहिम राष्ट्रपति एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अधीन अनुमति प्रदान की गयी है और इसकी सूचना षोडश बिहार विधान सभा के षोडश सत्र की समाप्ति के बाद प्राप्त हुई है:-

महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुमत विधेयक का विवरण

क्रमांक	विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि
1.	औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020	20.10.2020
2.	कारखाना (बिहार संशोधन) विधेयक, 2020	20.10.2020
3.	ठेका श्रम(विनियमन और उत्सादन)(बिहार संशेधन)विधेयक,	20.10.2020

महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक का विवरण

क्रमांक	विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि
1.	बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) अधिनियम, 2020	07.08.2020
2.	बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020	07.08.2020
3.	बिहार कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2020	07.08.2020
4.	बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020	07.08.2020
5.	बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2020	07.08.2020
6.	बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2020	07.08.2020
7.	बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) अधिनियम, 2020	07.08.2020

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जांच कराकर यदि असत्य हुआ तो हटवा देंगे । आप लोग आसन ग्रहण कीजिए ।

सभा सचिव: 8. बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020 07.08.2020

9. बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2020 07.08.2020

10. बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2020 07.08.2020

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव हूँ कि

" बिहार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के सिनेट की सदस्यता के लिए बिहार विधान सभा के दस-दस सदस्यों (जिनमें एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति एवं तीन अन्य पिछड़े वर्ग के हों), कृषि विश्वविद्यालयों के लिए सात-सात सदस्यों, बिहार राज्य होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड के लिए दो सदस्यों, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद् के लिए तीन सदस्यों, बिहार भूमि आयोग के लिए पांच सदस्यों, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड एवं बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड के लिए दो-दो सदस्यों तथा नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत राज्य स्तरीय समन्वयक समिति के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन होना है उनके नियमों को शिथिल करते हुए यह सदन अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को उन सदस्यों को मनोनीत करने के लिए प्राधिकृत करे ।"

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

" बिहार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के सिनेट की सदस्यता के लिए बिहार विधान सभा के दस-दस सदस्यों (जिनमें एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति एवं तीन अन्य पिछड़े वर्ग के हों), कृषि विश्वविद्यालयों के लिए सात-सात सदस्यों, बिहार राज्य होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड के लिए दो सदस्यों, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद् के लिए तीन सदस्यों, बिहार भूमि आयोग के लिए पांच सदस्यों, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड एवं बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड के लिए दो-दो सदस्यों तथा नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत राज्य स्तरीय समन्वयक समिति के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन होना है उनके नियमों को शिथिल करते हुए यह सदन अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को उन सदस्यों को मनोनीत करने के लिए प्राधिकृत करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, कल दिनांक 27 नवम्बर, 2020 को सदन के लिए निर्धारित प्रश्नोत्तर एवं अन्य मदों से संबंधित कार्य नहीं लिए जाएंगे, कल महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर का कार्यक्रम होगा ।

शोक प्रस्ताव

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कतिपय जननायकों के निधन की सूचना मिली है, जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्तव्य है :-

स्वर्गीय रवीन्द्र कुमार तांती

बिहार विधान परिषद् के पूर्व सदस्य श्री रवीन्द्र कुमार तांती का निधन दिनांक 14 अगस्त, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 64 वर्ष की थी । स्वर्गीय तांती विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र से 08 मई, 1996 से 07 अगस्त, 1997 तक एवं 02 अप्रैल, 1998 से 01 अप्रैल, 2004 तक विधान परिषद् के सदस्य रहे थे । वे बिहार राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे । वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय रामदेव राय

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री रामदेव राय का निधन दिनांक 29 अगस्त, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 77 वर्ष की थी।

स्वर्गीय राय बेगूसराय जिला के बछवाड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1972, 1977, 1980, मार्च, 2005, नवम्बर, 2005 एवं 2015 में बिहार विधान सभा के एवं वर्ष 1984 में समस्तीपुर से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे बिहार सरकार में राज्यमंत्री भी रहे थे । हम उनके निधन से दुखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी

भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का निधन दिनांक 31 अगस्त, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 85 वर्ष की थी ।

भारत रत्न स्वर्गीय मुखर्जी वर्ष 1969, 1975, 1981, 1993 एवं 1999 में राज्यसभा के सदस्य रहे थे । वे वर्ष 2004 एवं 2009 में पश्चिम बंगाल के जंगीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे केन्द्र सरकार में कई विभागों के मंत्री भी रहे थे । वे वर्ष 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे । उन्हें 'पद्म विभूषण' से भी सम्मानित किया गया था । उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था । हम उनके निधन से दुखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन दिनांक 13 सितम्बर, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 74 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय सिंह सीतामढ़ी जिला के बेलसंड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1977, 1980 एवं 1985 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे वर्ष 1990 में बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष एवं वर्ष 1991 में बिहार विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए तथा वर्ष 1994 में सभापति भी रहे थे । वे वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1996, 1998, 1999, 2004 एवं 2009 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे बिहार सरकार एवं भारत सरकार में कई विभागों के मंत्री भी रहे थे । वे प्रखर समाजवादी विचारधारा के राजनेता थे । वे सदैव समाज के शोषित एवं पीड़ितों की आवाज बने रहे । हम उनके निधन से दुखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय आनंदी प्रसाद यादव

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री आनंदी प्रसाद यादव का निधन दिनांक 13 सितम्बर, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 64 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय यादव अररिया जिला के सिकटी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2000 एवं 2010 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय राम जी ऋषिदेव

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री राम जी ऋषिदेव का निधन दिनांक 15 सितम्बर, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 66 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय ऋषिदेव अररिया जिला के रानीगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2005 में बिहार विधान सभा के एवं वर्ष 1998 में अररिया लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय मोहम्मद इसराईल राईन

बिहार विधान परिषद् के पूर्व सदस्य श्री मो0 इसराईल राईन का निधन दिनांक 28 सितम्बर, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 67 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय राईन कोशी स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से 23 जुलाई, 2009 से 16 जुलाई, 2015 तक विधान परिषद् के सदस्य रहे थे । वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

टर्न-3/ज्योति-हेमंत/ 26-11-2020

अध्यक्ष : स्वर्गीय धर्मेन्द्र यादव

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री धर्मेन्द्र यादव का निधन दिनांक 29 सितम्बर, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 70 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय यादव पटना जिला के मसौढ़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2000 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय हुसैन अंसारी

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री हुसैन अंसारी का निधन दिनांक 03 अक्टूबर, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 73 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय अंसारी संयुक्त बिहार के देवघर जिला के मधुपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1995 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय राम विलास पासवान

भारत सरकार के वर्तमान मंत्री एवं बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री राम विलास पासवान का निधन दिनांक 08 अक्टूबर, 2020 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 74 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय पासवान खगड़िया जिला के अलौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1969 में बिहार विधान सभा के सदस्य एवं हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1977, 1980, 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004 एवं 2014 में लोकसभा के तथा वर्ष 2019 में राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे भारत सरकार में कई विभागों के मंत्री भी रहे थे। वे सदैव समाज के शोषित एवं पीड़ितों की मदद हेतु तत्पर रहते थे । वे मृदुभाषी, मिलनसार एवं लोकप्रिय नेता थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह का असामयिक निधन दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 55 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय सिंह कटिहार जिला के प्राणपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2000, 2010 एवं 2015 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे । वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय कपिल देव कामत

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री कपिल देव कामत का निधन दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 69 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय कामत मधुबनी जिला के बाबूबरही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2005, 2010 एवं 2015 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे । वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय सतीश प्रसाद सिंह

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 84 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय सिंह खगड़िया जिला के परबत्ता विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1967 में बिहार विधान सभा एवं वर्ष 1980 में खगड़िया लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे । वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता का निधन दिनांक 08 नवम्बर, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 80 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय गुप्ता मुंगेर जिला के मुंगेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2009 के उप-चुनाव में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय सत्य नारायण सिंह

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री सत्यनारायण सिंह का निधन दिनांक 24 नवम्बर, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 94 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय सिंह आरा जिला के जगदीशपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1969 एवं 1977 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे । वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय गणेश प्रसाद यादव

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री गणेश प्रसाद यादव का निधन दिनांक 25 नवम्बर, 2020 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 70 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय यादव मुजफ्फरपुर जिला के औराई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1977, 1980, 1985, 1990 एवं 2000 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे बिहार सरकार में राज्यमंत्री रहे थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

अब हम लोग एक मिनट तक मौन खड़े होकर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें ।

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, धौरैया के नरेश दास जी विधान सभा के पूर्व सदस्य थे । उनका भी निधन हो गया है । कृपया उनका भी उल्लेख करके संवेदना व्यक्त करने की कृपा की जाय ।

अध्यक्ष : आप लिखकर के दे दें और ऐसी और भी किन्हीं के बारे में जानकारी हो तो आप दे देंगे ।

(एक मिनट का मौन)

मैं अपनी तथा सम्पूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भिजवा दूंगा ।

अब सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2020 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।